प्र.पी.-236

D-222

1

कार्यालय पुलिस अधीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो, छ0ग0 रायपुर

क्रमांक–पुअ/एसीबी/ 1775/2015 रायपुर दिनांक 16.03.2015

प्रति,

राजकीय दस्तावेज परीक्षक,
पुलिस मुख्यालय, रायपुर

विषयः– थाना–आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एंटी करप्शन ब्यूरो के अपराध क्रमांक 09/2015 धारा 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 एवं धारा 109, 120–बी भा.द.वी. में जप्तशुदा दस्तावेजों के हस्तलिपिक परीक्षण कर रिपोर्ट देने के संबंध में।

—00—

थाना–आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एंटी करप्शन ब्यूरो के अपराध क्रमांक 09/2015 धारा 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 एवं धारा 109, 120–बी भा.द.वि. में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीफ वर्ष 2014–15 में धान उपार्जन कर राईस मिलरों से कस्टम मिलिंग कराया जाता है, और निर्धारित गुणवत्ता के चावल को संग्रहण केन्द्र में शासन के नीति के अनुसार जमा कराया जाता है। किन्तु नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारीगण शिवशंकर भट्ट प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए घटिया चावल जमा कराने के एवज में राईस मिलर्स/ट्रांसपोटर्स से अवैध वसूली कर भ्रष्टाचार की रकम प्राप्त किया गया। आरोपी शिवशंकर भट्ट द्वारा रूपयों के हिसाब को कागजों पर कम्प्यूटर से बनाये पत्रक में रूपयों के विवरण के साथ लिखा गया है। जिसे आरोपी शिवशंकर भट्ट प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर ने अपनी हस्तलिपि में लेख किया है।

नागरिक आपूर्ति निगम के स्टेनो टायपिस्ट अरविंद सिंह ध्रुव मुख्यालय के पी.डी.एस. सेक्सन में शिव शंकर भट्ट के अधीनस्थ पदस्थ हैं। उनके द्वारा जिलों से प्राप्त अवैध धन राशि का हिसाब अपने डायरी में लिखा गया है। अरविंद सिंह ध्रुव के पास से जिला प्रबंधकों द्वारा अवैध वसूली कर मुख्यालय भेजने का हिसाब पर्चियों में प्राप्त हुआ है। जिसे जप्त किया गया है।

अरविंद सिंह ध्रुव के पास जिलों से अवैध वसूली कर भेजने का हिसाब जिला प्रबंधक धमतरी टी.डी. हरचंदानी, जिला प्रबंधक गरियाबंद मोतीलाल साहू, जिला

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

प्रबंधक कबीरधाम धनेश्वर राम, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी जगदलपुर सतीश कैवर्त्य द्वारा भिजवाया गया था। अरविन्द ध्रुव से प्राप्त उपरोक्त पर्चीयां संबंधित जिलों के प्रबंधक द्वारा हाथ से लिखी गयी हैं जिसे अरविन्द ध्रुव के पास से जप्ती किया गया है। इस पर उपरोक्त सभी विवादग्रस्त दस्तावेजों के आधार पर नमूना हस्ताक्षर/लिपि एवं स्वाभावीक हस्ताक्षर/लिपि प्राप्त की गई है।

शिवशंकर भट्ट प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर पी.डी. एस/क्लेम से प्राप्त अवैध वसूली पर्ची विवादग्रस्त दस्तावेज को क्यू 1 से क्यू 6 लाल पेन्सिल से घेरा कर चिन्हित किया गया है। जिसमें क्यू–1 एवं क्यू–2 की छायाप्रति दस्तावेज जप्त हुए हैं जिन्हें मुल दस्तावेज के रूप में परिक्षण किया जावे। शिवशंकर भट्ट की स्वाभाविक लिपि एक काले रंग की डायरी जिसमें शिव शंकर भट्ट लिखा है, जप्त किया गया है। डायरी में 01 से 61 पन्ने है। स्वाभाविक लिपि एन–1 से एन–9 नीले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है। शिवशंकर भट्ट की नमूना हस्तलिपि एस–1 से एस–42 है जिसे काले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है।

अरविंद सिंह ध्रुव, स्टेनो टायपिस्ट नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर पी.डी.एस. सेक्सन से प्राप्त अवैध वसूली को डायरी में लिखा गया है। विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–7 से क्यू–11 तक लाल पेन्सिल से घेरा कर चिन्हित किया गया है। अरविंद सिंह ध्रुव की स्वाभाविक लिखावट की एक कॉपी जिसमें आनंद लिखा हुआ है, जिसमें अरविंद सिंह ध्रुव स्टेनो टायपिस्ट नागरिक आपूर्ति निगम आवंती विहार मुख्यालय रायपुर लिखा है। कापी में 01 से 108 पन्ने है। स्वाभाविक लिपि कॉपी के पेज कमांक 2 में एन–10, पेज कमांक 3 में एन–11, पेज कमांक 4 में एन–12, पेज कमांक 6 में एन–13, पेज कमांक 7 में एन–14, पेज कमांक 8 में एन–15, पेज कमांक 9 में एन–16, पेज कमांक 93 में एन–17, पेज कमांक 95 में एन–18 को नीले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है। अरविंद सिंह ध्रुव का नमूना हस्तलिपि एस–43 से एस–72 तक है। जिसे काले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है।

टीकमदास हरचंदानी (टी.डी. हरचंदानी) जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम धमतरी से प्राप्त अवैध वसूली रकम को मुख्यालय भेजने का विवरण पर्ची विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू.–12 जिसे लाल पेंसिल से घेरा कर चिन्हित किया गया है। टी.

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी. कमशः ....
रायपुर (छ.ग.)

डी. हरचंदानी का स्वाभाविक लिखावट जिसे शासकीय कार्य के दौरान लिखा गया है। स्वाभाविक लिपि को एन–19 से एन–21 नीले रंग की पेंसिल से चिन्हित किया गया है। टी.डी. हरचंदानी की नमूना हस्तलिपि की एस–73 से एस–78 तक काले रंग की पेंसिल से चिन्हित किया गया है।

मोतीलाल साहू जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम गरियाबंद से प्राप्त अवैध वसूली की रकम को मुख्यालय भेजने का रकम विवरण पर्ची विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–13 है जिसे लाल पेंसिल से घेरा कर चिन्हित किया गया है। मोतीलाल साहू की स्वाभाविक लिपि शासकीय कार्य के दौरान लिखा गया है। स्वाभाविक लिपि को एन–22 से एन–32 तक नीले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है। मोतीलाल साहू से नमूना हस्तलिपि एस–79 से एस–86 है। जिसे काले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है।

जगदीश प्रसाद द्विवेदी (जे.पी. द्विवेदी) जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम बलौदाबाजार से प्राप्त अवैध वसूली रकम को मुख्यालय भेजने का रकम विवरण पर्ची विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–14 है जिसे लाल स्याही से घेरा कर चिन्हित किया गया है। जे. पी. द्विवेदी की स्वाभाविक लिपि एक नोट पेड में जिसे शासकीय कार्य के दौरान लिखा गया है। जिसमें 14 पन्ने है। स्वाभाविक लिपि एन–33 से एन–34 नीले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है। जे.पी. द्विवेदी की नमूना हस्तलिपि एस–87 से एस–92 तक है। जिसे काले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है।

धनेश्वर राम जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम कबीरधाम से प्राप्त अवैध वसूली रकम को मुख्यालय भेजने का रकम विवरण पर्ची विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–15 है जिसे लाल पेन्सिल से घेरा कर चिन्हित किया गया है। धनेश्वर राम से स्वाभाविक लिखावट अरोड़ा कम्पनी का नोट पेड जिसमें 15 पन्ने है धनेश्वर राम लिखा है। शासकीय कम में लिखा गया है। स्वाभाविक लिपि एन–35 से एन–36 जिसे नीले पेन्सिल से चिन्हित किया गया है। धनेश्वर राम की नमूना हस्तलिपि एस–93 से एस–98 है जिसे काले रंग की पेन्सिल से घेरा गया है।

सतीश कैवर्त्य कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम जगदलपुर से प्राप्त दो पन्ने जिसमें अवैध वसूली रकम का लेखा–जोखा है, जिसे विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–16 से क्यू–17 लाल पेन्सिल से घेरा कर चिन्हित किया गया है। सतीश कैवर्त्य की

सत्यापित प्रति

(एस.डी. देव...)

क्रमशः : ....

स्वाभाविक लिपि पेज कमांक 03 पर एन–37, पेज कमांक 04 पर एन–38, पेज कमांक 07 पर एन–39, पेज कमांक 181 पर एन–40 है। जिसे नीले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है। सतीश कैवर्त्य का नमूना हस्तलिपि एस–99 से एस–110 तक है। जिसे काले रंग की पेन्सिल से चिन्हित किया गया है।

कृपया परीक्षण कर बतावें कि–

01. विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–1 से क्यू–6 हस्तलिपि का मिलान, स्वाभाविक लिखावट एन–1 से एन–9 तथा नमूना हस्तलिपि एस–1 से एस–42 की लिखावट एक ही व्यक्ति शिवशंकर भट्‌ट की है ?
02. विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–7 से क्यू–11 हस्तलिपि का मिलान, स्वाभाविक लिखावट एन–10 से एन–18 तथा नमूना हस्तलिपि एस–43 से एस–72 की लिखावट एक ही व्यक्ति अरविंद सिंह ध्रुव की है ?
03. विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–12 हस्तलिपि का मिलान, स्वाभाविक लिखावट एन–19 से एन–21 तथा नमूना हस्तलिपि एस–73 से एस–78 की लिखावट एक ही व्यक्ति टी. डी. हरचंदानी की है ?
04. विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–13 हस्तलिपि का मिलान, स्वाभाविक लिखावट एन–22 से एन–32 तथा नमूना हस्तलिपि एस–79 से एस–86 की लिखावट एक ही व्यक्ति मोतीलाल साहू की है ?
05. विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–14 हस्तलिपि का मिलान, स्वाभाविक लिखावट एन–33 से एन–34 तथा नमूना हस्तलिपि एस–87 से एस–92 की लिखावट एक ही व्यक्ति जे. पी. द्विवेदी की है ?
06. विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–15 हस्तलिपि का मिलान, स्वाभाविक लिखावट एन–35 से एन–36 तथा नमूना हस्तलिपि एस–93 से एस–98 की लिखावट एक ही व्यक्ति धनेश्वर राम की है ?
07. विवादग्रस्त दस्तावेज क्यू–16 एवं क्यू–17 हस्तलिपि का मिलान, स्वाभाविक लिखावट एन–37 से एन–40 तथा नमूना हस्तलिपि एस–99 से एस–110 की लिखावट एक ही व्यक्ति सतीश कैवर्त्य की है ?

उपरोक्त परीक्षण कम से पूर्व प्राथमिकता के आधार पर कर, रिपोर्ट देने का कष्ट करें।

संलग्न :–

01. प्रथम सूचना पत्र
02. जप्ती पत्रक
03. विवादित दस्तावेज क्यू–1 से क्यू–17।
04. स्वाभाविक लिखावट एन–1 से एन–40।
05. नमूना लिखावट एस–01 से एस–110।

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
छ0ग0 रायपुर

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ... / ए.सी.बी.
(छ.ग.)

पुलिस हिन्दी

फार्म नं. 1 पृष्ठ कमांक

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रकिया संहित के अंतर्गत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

1. *जिला रायपुर *थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्युरो, रायपुर *वर्ष 2015 *प्र.सू.प.क 09/2015 *दिनांक.12.02.2015

2. (1)*विधान भा.दं.वि. धाराएं 109,120 बी
   (2)*विधान धारा
   (3)*विधान धारा
   (4)*अन्य विधान एवं धराएं भ्र.नि.अ. 1988 13 (1)(डी) सहपठित धारा 13(2)

3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा कं.
   *(ब)घटना का दिन *दिनांक 12.2.2015 के पूर्व से लगातार *समय
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक दिनांक 12.2.2015 के 13:00 बजे रो.सा. 75/12.02.15

4 सूचना का प्रकार : *लिखत/मौखिक लिखित

5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी करीबन 1 कि0मी0 पूर्व की ओर
   (ब)*घटना स्थल का पता) नागरिक आपूर्ति निगम का मुख्यालय भवन अवंति विहार रायपुर (छ0ग0)
   (स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना

6. अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम श्री रामकृष्णदुबे निरीक्षक
   (ब)पिता/पति/पालक नाम श्री आर.एस.दुबे
   (स)जन्म दिनांक/वर्ष 54 वर्ष (ड) राष्ट्रीयता भारतीय
   (द)पासपोर्ट नं. जारी दिनांक जारी होने का स्थान
   (क)व्यवसाय नौकरी (ख) पता एन्टी करपशन ब्यूरो रायपुर छ.ग.

7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)
   1. शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर
   2. अरविंद ध्रुव, स्टेनो टायपिस्ट
   3. जीतराम यादव, सीनियर असिस्टेंट
   4. त्रिनाथ रेड्डी, ए.ए.ओ.
   5. कीर्तिकांत बारीक, स्टेनो टायपिस्ट
   6. डी.के.चंद्रवंशी, ए.ओ.
   7. जी.के.देवांगन, ए.ओ.
   8. गिरीश शर्मा, एमडी नॉन का पीए
   9. सतीश कैवर्त, क्यू.आई., केशलूर जिला जगदलपुर
   10. हरीश सोनी, क्यू.आई. कांकेर, जिला कांकेर
   11. क्षीरसागर पटेल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, क्यू आई, रायगढ़
   12. आलोक चंद्रवंशी, क्यू.आई. राजनांदगांव
   13. हरदीप सिंह भाटिया, प्रभारी क्यू.आई (तकनीकी सहायक), वेयर हाउस धमतरी
   14. एस.के.चंद्राकर, क्यू.आई. रायपुर

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ... / ए.सी...

15. सुधीर कुमार भोले, ए.ए.ओ. रायपुर
16. विशाल सिन्हा, क्यू.आई, अबिंकापुर
17. योगेश गुप्ता क्यू.आई, प्रतापपुर
18. के. के. यदु, जिला प्रबंधक, बिलासपुर
19. टी.डी.हरचंदानी, जिला प्रबंधक, धमतरी
20. आर.एन.सिंह, जिला प्रबंधक, सूरजपुर
21. एन.के.धुरंदर, डीएओ, महासमुंद .
22. डी.के.शर्मा, नॉन वेयर हाउस प्रभारी, बालोद .
23. डी.पी.तिवारी, जिला प्रबंधक बालोद
24. संदीप अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी, रायपुर
25. डी.एस.कुशवाह, क्वालिटी कंट्रोल असि. मैनेजर रायपुर
26. आर.पी.पाठक, क्वालिटी कंट्रोल, असि. मैनेजर
27. मधुरिमा उर्फ रीमा शुक्ला
28. एवं अन्य

8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण
सूत्र सत्यापन के उपरांत

9 अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

10 *अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का कुल मूल्य

11 *मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो)

12. *प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

मैं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में थाना प्रभारी/निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मुझे आज निरीक्षक श्री आर0के0 दुबे एन्टीक्ररप्शन ब्यूरो रायपुर से पुलिस अधीक्षक एन्टीकरप्शन ब्यूरो रायपुर का पत्र कमांक/पुअ/एसीबी/1165/2015 दिनांक 12.02.15 के माध्यम से अपराध कमांक 0/2015 धारा– 109, 120बी, भा0द0वि0 एवं 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की बिना नम्बरी प्रथम सूचना पत्र थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/एंटीकरप्शन ब्यूरो रायपुर में प्रस्तुत किया है। उक्त बिना नंबरी नालसी पर मेरे द्वारा नम्बरी अपराध कमांक 09/2015 धारा– 109, 120बी, भा0द0वि0 एवं 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पंजीबद्ध किया गया। बिना नम्बरी नालसी की नकल जैल है :– मैं एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर छत्तीसगढ़ में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि मुझे नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय तथा जिलो में पदस्थ जिला प्रबन्धकों एवं क्यु. आई. द्वारा कस्टम मीलिंग के चावल जमा कराने की आड़ में राईस मिलर्स से अवैध रूप से करोड़ो रूपये की धन वसूली करने संबंधी सूत्र सूचना सत्यापन हेतु प्राप्त हुई थी।

मेरे द्वारा दिनांक 2.01.2015 को मुख्यालय में पंजीकृत गुप्त सूचना का सत्यापन किया गया, जिसमें मैंने पाया कि छत्तीसगढ़ शासन के अधीन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीफ वर्ष 2014–15 का धान उपार्जन कर राईस मिलरों से कस्टम मीलिंग कराया जाकर उसे चावल संग्रहण केन्द्र में शासन की नीति के तहत चावल की निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार इसे जमा कराया जाता है । इस वर्ष भी शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, जिसमें कि चावल की क्वालिटी, ब्रोकन की मात्रा एवं अन्य कई स्पेशिफिकेशन उल्लेखित हैं साथ ही इसके वेट, पैकिंग पर भी स्पष्ट निर्देश हैं । जिनके पालन के बिना चावल को रिजेक्ट किया जा सकता है। चावल की क्वालिटी जॉचने हेतु क्यू.आई. अधिकृत हैं तथा नॉन का गोडाउन इंचार्ज एवं वेयरहाउस इंचार्ज द्वारा उसके पैकिंग एवं स्टेण्डर्ड वेट आदि मापदण्डों की जॉच की जाती है। तदोपरांत सभी जगह से ओके रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मिलर के चावल का संग्रहण किया जाता है । चावल लॉट के जमा दस्तावेजों के आधार पर राईस मिलर्स को फ्रेश धान एवं कस्टम मीलिंग हेतु इश्यू होता है। इन प्रकियाओं की पेचीदगियो में एवं परेशानियों से बचने एवं कम गुणवत्ता के चावल को पास कराने के एवज में धनराशि नॉन के अधिकारियों द्वारा अधिकांश राईस मिलरों से अवैध रूप से वसूली जाती है । जिसकी शिकायत मजबूरीवश एवं और अधिक परेशानियों में न पड़ने की वजह से कोई कहीं नहीं कर पाता। यह कि व्यवस्था सुचारू एवं

सुदृढ़ रहे, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रबंधक नॉन तथा प्रदेश के मुख्यालय के अधिकारियों की सीधे तौर पर होती है, परंतु अपने दायित्व को सतही तौर पर निभाने का उपक्रम करते हुये उनके सीधी जानकारी में यह पूरा रैकेट चलता है एवं भारी मात्रा में अवैध धन की उगाही करके हिस्से के रूप में हेडक्वार्टर में भी जमा होता है । यहां उल्लेखनीय है कि किसी भी तरह का लेनदेन की कोई कार्यवाही इन केन्द्रों में व हेडक्वार्टर के शासकीय कार्य में नहीं है। परंतु अवैध धन सामान्य रूप से इन केन्द्रो में एकत्रित होता रहता है एवं केन्द्रों में एकत्रित होकर नॉन मुख्यालय में उपलब्ध रहता है। सूत्र जॉच में उजागर हुआ है कि नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रीतिपात्र अधिकारी शिवशंकर भट्ट, जो किं पूर्व में रिश्वत लेते हुए ट्रेप हो चुका था, परंतु अधिकारियों के बचाये जाने के प्रयास के कारण अब तक प्रकरण में चालानी कार्यवाही से बचता रहा है, के द्वारा खुले तौर पर दुस्साहस के साथ अवैध धन को एकत्रित कर उसके वितरण का कार्य अपने स्वयं के निर्देश एवं वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति के आधार पर विश्वस्त अधि./कर्म. अरविंद ध्रुव, जीतराम यादव, त्रिनाथ रेड्डी, एवं कीर्तिकांत बारीक, डी.के.चंद्रवंशी एओ एवं जी.के. देवांगन, एओ आदि के साथ मिलकर तथा नॉन के एमडी के पीए के तौर पर कार्य कर रहे गिरीश शर्मा जो कि वरिष्ठ अधिकारियों का अत्यंत विश्वस्त है, के माध्यम से उक्त धनराशि को गोपनीय रूप से इसका वितरण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिमाह किया जाता है। इसी जॉच में सूत्रों से यह भी पता चला है कि मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ क्यू.आई. द्वारा इसी तरह की वसूली की जाती है, जिसमें कुछ लोकसेवक जैसे कि केशलूर जिला जगदलपुर में पदस्थ सतीश कैवर्त, कांकेर में हरीश सोनी, रायगढ़ में क्षीरसागर पटेल, राजनांदगांव में आलोक चंद्रवंशी, धमतरी में हरदीप सिंह भाटिया जेटीए (नॉन गोदाम प्रभारी), रायपुर में एस.के.चंद्राकर क्यू.आई. एवं सुधीर कुमार भोले, एएओ, सूरजपुर में विशाल सिन्हा क्यू.आई, योगेश गुप्ता क्यू.आई तथा बिलासपुर में पदस्थ जिला प्रबंधक के. के. यदु, धमतरी में पदस्थ जिला प्रबंधक टी.डी.हरचंदानी, सूरजपुर में पदस्थ जिला प्रबंधक आर.एन.सिंह, जिला कार्यालय महासमुंद में पदस्थ एन.के.धुरंदर डीएओ, बालोद में पदस्थ डी.के.शर्मा नॉन गोदाम प्रभारी एवं जिला प्रबंधक डी.पी.तिवारी आदि अवैध वसूली कार्य में संलग्न हैं।

इसी तरह पूरे प्रदेश में क्वालिटी की जॉच हेतु संदीप अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी को अधिकृत किये जाने की जानकारी है, जिसके पास क्वालिटी के जॉच करने से संबंधित कोई भी योग्यता नहीं है, इसके साथ एफसीआई से रिटायर्ड अधिकारी डी.एस.कुशवाह एवं आर.पी.पाठक, जो दोनो संविदा पर असि. मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, के द्वारा क्वालिटी जॉचं के कार्य को साशय लोप किया जाकर उक्त अवैध वसूली के उद्देश्य से किया जा रहा है एवं स्वयं के फायदे के लिये षडयंत्रपूर्वक सुनियोजित तरीके से खराब क्वालिटी के चावल को स्वीकार करने एवं मिलर्स से कस्टम मीलिंग के चावल को परिवहन कराकर ये सभी अधिकारी अपने अपने व्यक्तिगत धन संबंधी लाभ के लिये जमा कराते समय शासन द्वारा निर्धारित कस्टम मीलिंग की सम्पूर्ण प्रकिया के आदेशो, निर्देशों का नियमानुसार पालन न कराकर अनदेखी करने के एवज में अवैध रूप से प्रतिमाह करीबन दो करोड़ रूपये की अवैध वसूली लगातार कर रहे हैं । इस 2 करोड़ रूपये की राशि में से आधी राशि नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को गिरीश शर्मा के माध्यम से उनके हिस्से के रूप में वितरित की जा रही है, शेष राशि को मुख्यालय कार्यालय में पदस्थ उक्त अधिकारी/कर्मचारियों में बॉटी जाती है । मुख्यालय व जिलों में पदस्थ नॉन के सभी अधि./कर्म. लोकसेवक हैं। इनके द्वारा अपने अपने पदो का दुरूपयोग कर भारी मात्रा में रूपयों की अवैध वसूली की जा रही है।

चावल के अलावा दाल, चना एवं नमक की खरीदी में भी मेनीप्लेशन कर कुछ सप्लायर्स से सॉठगॉठ कर कम गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदण्डों से निम्न स्तर की सप्लाई इन्हीं अधिकारियों द्वारा की जाने की पुष्टि सूत्रों द्वारा की गई है, इसके एवज में भी भारी धनराशि की अवैध उगाही की जानकारी है । सत्यापन पर यह बात भी पायी गई है कि शिवशंकर भट्ट की अत्यंत विश्वस्त मधुरिमा उर्फ रीमा शुक्ला, शिवशंकर भट्ट के हिस्से की धनराशि एवं उसकी बेनामी संपत्ति को छिपाने में मदद करती है ।

सूत्र/सत्यापन के दौरान शिवशंकर भट्ट की रायपुर, दिल्ली में जमीन, पेट्रोल पम्प, फ्लैट तथा उसके अत्यंत विश्वस्त मधुरिमा उर्फ रीमा शुक्ला एवं उसके रिश्तेदार इत्यादि के नाम पर

करोड़ो रूपये की बेनामी संपत्ति बनाई गई है, जो ग्राम रिसनी, तर्रा, शंकर नगर रायपुर में स्थित है एवं अनेको बैंक एकाउन्ट नंबर व लॉकर इत्यादि की जानकारी भी उपलब्ध हुई है। सूत्र जॉच के दौरान ही अभी यह सूचना प्राप्त हुई है कि नॉन मुख्यालय में पदस्थ प्रबंधक शिवशंकर भट्ट द्वारा अपने स्टेनो टायपिस्ट को 20 लाख रूपये पीए टू एमडी गिरीश शर्मा को एक घण्टे के भीतर लाकर देने के लिये कहा है ।

इसी तरह अन्य पैसे का भी वितरण तुरंत ही किया जाने वाला है। उक्त स्थितियों में तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, चूंकि सक्षम न्यायालय से विधिअनुरूप सर्च वारंट लिये जाने की प्रकिया में विलंब होगा एवं इस प्रकिया में अवैध रकम अफरा–तफरी होकर महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जावेंगे । इसलिये अपराध पंजीबद्ध कर बिना सर्च वारंट प्राप्त किये तत्काल रकम बरामदगी की कार्यवाही आवश्यक होने से धारा 13 (1)डी, 13(2) भ्रनिअ 1988 एवं 109 व 120 (बी) भादवि का अपराध पंजीयन कर विवेचना में लिया गया।

(लौरेन्स खेस)
थाना प्रभारी / निरीक्षक
हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 109, 120बी भादवि एवं 13(1)डी सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया / नहीं लिया गया तथा को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया. या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना जिला को, स्थानांतरति किया गया या दं. प्र.सं. की धारा 154 'ब' के अंतर्गत कार्यवाही की गई अभियोगी / सूचनाकर्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर / पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही–सही अभिलिखित होना स्वीकार किया ।
इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी
*(नाम) लौरेन्स खेस
*(पद) निरी.
*(नं. यदि है)

अभियोगी / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

प्रति,

माननीय न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रनिअ रायपुर) की ओर सूचनार्थ।

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)